रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2015/फाल्गुन 28, 1936
No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2015/PHALGUNA 28, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2015

सा.का.नि. 205(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं –(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(ग) "अनुज्ञप्ति फीस" से अधिभोगी से, निश्चित अवधि के लिए विषयगत संपत्ति पर उसके अधिभोग के लिए मासिक टैरिफ प्रभार अभिप्रेत है।

(घ) "जिला प्राधिकारी" से जिले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त या कोई प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम में उनका है।

3. स्थावर संपत्ति की पहचान करने की प्रक्रिया –

(1) अभिरक्षक, किसी शत्रु के नाम की उसके नाम में धारित किसी स्थावर संपत्ति की पहचान के प्रयोजनों के लिए तहसील वार या ब्लाक वार राजस्व अभिलेखों की परीक्षा के लिए जिला प्राधिकारी की सहायता की ईप्सा कर सकेगा ।

(2) संबंधित जिला प्राधिकारी, किसी शत्रु के नाम की या उसके नाम में धारित किसी स्थावर संपत्ति की पहचान करने पर, अभिरक्षक को, ऐसी शत्रु संपत्ति के संपूर्ण ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उसके स्वामी की राष्ट्रीयता भी है, अग्रेषित करेगा ।

(3) यदि जिला अधिकारी को किसी शत्रु संपत्ति की बाबत किसी व्यक्ति से किसी स्रोत से कोई सूचना या शिकायत प्राप्त होती है तो वह उपनियम (2) में निर्दिष्ट ब्यौरों के साथ ऐसी सूचना या शिकायत अभिरक्षक को अग्रेषित करेगा ।

(4) अभिरक्षक, उस जिला अधिकारी को, जिसमें शत्रु संपत्ति अवस्थित है, ऐसी सूचना अभिप्राप्त करने के लिए जो अभिरक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, शत्रु संपत्ति का भौतिक निरीक्षण या जांच करने का निदेश दे सकेगा।

(5) उप नियम (4) के अधीन अभिरक्षक से निदेश प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी, अभिरक्षक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सूचना अभिप्राप्त करने के लिए, शत्रु संपत्ति का स्थान या क्षेत्र तथा अन्य ब्यौरों का सत्यापन करने के लिए सुसंगत राजस्व या नगरपालिका या पुलिस अभिलेखों की जांच और सर्वेक्षण करेगा ।

(6) उप नियम (5) में निर्दिष्ट अपेक्षित सूचना अभिप्राप्त होने पर और यह समाधान हो जाने पर कि संपत्ति या उसमें के हित प्रथम दृष्टतया शत्रु संपत्ति है, अभिरक्षक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारूप-1 में ऐसी संपत्ति या उसमें के हित का दावा करने वाले व्यक्ति पर और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों पर, जिसे वह उस संपत्ति के हितबद्ध समझे, सूचना की तामील करवाएगा ।

(7) उप नियम (6) में निर्दिष्ट सूचना में यथासाध्य उन आधारों को वर्णित किया जाएगा जिसके आधार पर संपत्ति को शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित किया गया है और अधिनियम के उपबंध विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनके अधीन यह अभिकथन किया गया है कि ऐसी संपत्ति शत्रु संपत्ति है ।

(8) (क) सूचना की तामील संबंधित व्यक्ति या उसके प्रबंधक या उसके कुटुंब के अन्य सदस्यों पर वैयक्तिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या संबंधित व्यक्ति के संबंधित परिसर के या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान के सहज दृश्य भाग पर चिपका कर की जाएगी ।

(ख) केवल सूचना के बार बार अननुपालन की दशा में पुलिस के मार्फत सूचना की दस्ती तामील का सहारा लिया जा सकेगा ।

(9) अभिरक्षक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसके समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने और उसे या उसके प्रतिनिधि को सुने जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा ।

(10) जहां सूचना की सम्यक रूप से तामील की गई है वहां पक्षकार से यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न विषयगत संपत्ति को शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया जाए :

परंतु यदि पक्षकार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी नियत तारीख को हाजिर होने में असफल रहता है तो अभिरक्षक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की एकपक्षीय सुनवाई कर सकेगा और उसके समक्ष तथ्य सामग्री के आधार पर ऐसा युक्तियुक्त आदेश पारित कर सकेगा जो अभिरक्षक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ठीक समझे ।

(11) जहां पक्षकार हाजिर होता है और सूचना का प्रतिवाद करता है वहां अभिरक्षक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों का कथन करेगा कि विषयगत संपत्ति को क्यों शत्रु संपत्ति समझा जाना चाहिए।

(12) शत्रु संपत्ति से संबंधित कार्यवाहियों में हितबद्ध होने का दावा करने वाला या करने वाले कोई व्यक्ति अभिरक्षक के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा या सकेंगे जो तत्पश्चात् उसी दिन या किसी पश्चातवर्ती ऐसे दिवस को जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की गई है, आवेदक स्वयं की सुनवाई के लिए आगे कार्यवाही करेगा या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसकी सुनवाई करवाएगा।

(13) अभिरक्षक का प्राधिकृत प्रतिनिधि शत्रु संपत्ति के रूप में पहचान किए गए ऐसे सभी मामलों की जिनकी बाबत सुनवाई पूरी हो गई है, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे उस पर अपनी सिफारिशों के साथ अभिरक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(14) परीक्षाधीन और पहचान या सत्यापन के प्रक्रियाधीन सभी संपत्तियों को प्रक्रियागत मामले के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मामलों के ब्यौरे उसकी घोषणा होने तक उपाबंध-1 में अभिलिखित किए जाएंगे।

4. शत्रु संपत्ति की घोषणा और निहित करने की प्रक्रिया – (1) नियम 3 के उप नियम (13) में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिरक्षक उसकी परीक्षा करेगा और यदि आवश्यक समझे तो और अनुवेषण करवाएगा।

(2) यदि रिपोर्ट की परीक्षा या उपनियम (1) के अधीन और अन्वेषण करने पर अभिरक्षक का यह समाधान हो जाता है कि संपत्ति शत्रु संपत्ति है तो वह संपत्ति की शत्रु संपत्ति के रूप में घोषणा करते हुए और ऐसी संपत्ति को अभिरक्षक में निहित करते हुए जिला प्राधिकारी को उसकी ओर से तुरंत उक्त संपत्ति का कार्यभार संभालने के लिए प्राधिकृत करते हुए प्रारूप 3 में प्राधिकरण आदेश के साथ प्रारूप 2 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन अभिरक्षक से प्राधिकरण आदेश प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी शत्रु संपत्ति के प्रबंध पर नियंत्रण रखने के लिए आगे और कार्यवाही करेगा और निहित संपत्ति के अधिभोगी से वसूली योग्य बकायों या शोध्यों की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा और उक्त संपत्ति पर यह घोषणा करते हुए कि उक्त संपत्ति अभिरक्षक में निहित है, प्ररूप 4 में एक सूचना चिपकाएगा।

(4) जिला प्राधिकारी, उपाबंध-2 में दिए गए रूप विधान में अपने जिले से संबंधित निहित संपत्ति की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अभिरक्षक को भेजेगा।

5. स्थावर संपत्ति के परिरक्षण प्रबंध और नियंत्रण की प्रक्रिया- (1) जहां कोई ऐसी निहित संपत्ति जिसकी बाबत अभिरक्षक द्वारा कोई आय प्राप्त नहीं होती है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा किसी कंपनी के अधिभोग में है, वहां अभिरक्षक प्रारूप 5 में अभिरक्षक के साथ करार करने का उन्हें निदेश देते हुए एक सूचना की तामील कर सकेगा और ऐसा या ऐसे अधिभोगी या कंपनी संपत्ति के अधिभोग की तारीख से या निहित होने की तारीख से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, जिला प्राधिकारी द्वारा यथाअवधारित सभी बकायों का संदाय करेगी:

परंतु निहित संपत्ति का अधिभोगी करार करने के लिए अनिच्छुक है वहां अभिरक्षक अधिभोगी को बेदखल करने की कार्रवाई आरंभ कर सकेगा और अधिनियम या इन नियमों के अनुसार या उसमें उपबंधित रीति में संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले सकेगा :

परंतु यह और कि जहां ऐसी संपत्ति में शत्रु का हिस्सा संपूर्ण संपत्ति के आधे से अधिक है वहां अभिरक्षक द्वारा संपूर्ण संपत्ति का नियंत्रण किया जा सकेगा।

(2) जहां निहित संपत्ति संयुक्त रूप से किसी शत्रु और किसी भारतीय राष्ट्रिक के स्वामित्वाधीन है या वह संयुक्त संपत्ति में अविभक्त हिस्से के रूप में है वहां ऐसी संपत्ति की बाबत आय और व्यय, उसके परिरक्षण, प्रबंध और नियंत्रण के लिए प्रभाजित हो जाएंगे।

(3) ऐसी सभी निहित संपत्ति को जो अभिरक्षक द्वारा नियंत्रण में लिए जाने के समय खाली पड़ी है या इस नियम के अधीन बेदखली के कारण रिक्त हो गई है, खुली नीलामी के माध्यम से उच्चतर बोली माध्यम से लगाने वाले को पट्टे पर दिया जाएगा।

(4) अभिरक्षक ऐसी सभी शत्रु संपत्तियों की उपाबंध-3 में एक सूची तैयार करेगा जिससे कोई आय प्राप्त होती है या जो आय प्राप्त होने योग्य है जिसका समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "निहित होने के तारीख" से शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित कोई संपत्ति निहित होने की तारीख अभिप्रेत है जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 12/2/65-ईपीटीवाई तारीख 10 सितंबर, 1965 के अधीन यथा अधिसूचित 10 सितंबर, 1965 होगी।

6. जंगम संपत्ति का कब्जा लेने की प्रक्रिया - जहां निहित संपत्ति कोई जंगम संपत्ति है वहां अभिरक्षक वास्तविक अभिग्रहण द्वारा संपत्ति का कब्जा ले सकेगा :

परंतु जहां संपत्ति शीघ्रतया और प्राकृत्य क्षयशीलता के अध्यधीन है या उसके रखरखाव का व्यय, उसके मूल्य के अनुपात में अधिक होने की संभावना है वहां अभिरक्षक, पांच तटस्थ साक्षियों की उपस्थिति में और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के सुसंगत उपबंधों के अनुसार तुरंत उसका विक्रय कर सकेगा।

7. कतिपय जंगम संपत्ति का कब्जा लेने की प्रक्रिया –(1) जहां निहित संपत्ति, एक ऋण या वसीयत संपदा या ऐसे ऋण या वसीयत संपदा पर संदेय ब्याज है वहां अभिरक्षक दायी पक्षकार पर, ऐसे पक्षकार से ऐसे ऋण या वसीयत संपदा या ऐसे ऋण या वसीयत संपदा पर संदेय ब्याज पर, अभिरक्षक या उसके द्वारा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को संदाय करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील कर सकेगा।

(2) जहां निहित संपत्ति किसी ऐसी संयुक्त स्टाक कंपनी का शेयर है जो संयुक्त स्टाक कंपनी नहीं है, वहां ऐसी कंपनी के प्रधान कार्यालय को यह सूचना देकर कि शेयर अभिरक्षक में निहित हो गया है, कब्जा लिया जा सकेगा।

(3) जहां निहित संपत्ति में सरकारी या अन्य प्रतिभूतियां स्टाक या डिबेंचर सम्मिलित हैं वहां समुचित प्राधिकारी पर, ऐसे प्राधिकारी से ऐसी प्रतिभूतियां, स्टाक या डिबेंचर की बाबत अभिरक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सभी भुगतान करने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करके, कब्जा लिया जा सकेगा।

(4) जहां निहित संपत्ति चालू कारबार या ऐसे कारबार में कोई शेयर है वहां अभिरक्षक ऐसे कारबार के व्यापार स्टाक और अन्य आस्तियों का कब्जा ले सकेगा और ऐसे और उपाय कर सकेगा जो वह ऐसे कारबार को चालू रखने के लिए या उसके परिसमापन के लिए आवश्यक समझे।

8. जंगम संपत्ति की तालिका का तैयार किया जाना - (1) जहां अभिरक्षक जंगम संपत्ति का, जिसके अंतर्गत कोई व्यापार स्टाक या संयंत्र या मशीनरी अथवा कोई उपक्रम भी है, कब्जा लेता है वहां वह कम से कम दो तटस्थ साक्षियों की उपस्थिति में प्रारूप 6 में संपत्ति की तीन प्रतियों में एक तालिका तैयार करवाएगा।

(2) तालिका पर उस तारीख पर जिसने उसे तैयार किया था और दोनों साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे और उस पर अभिरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा तथा तालिका की एक प्रति संपत्ति के स्वामी को दी जाएगी और दो प्रतियां अभिरक्षक द्वारा प्रतिधारित की जाएंगी।

9. स्थावर संपत्ति की तालिका का तैयार किया जाना - (1) जहां अभिरक्षक किसी स्थावर संपत्ति का कब्जा लेता है वहां वह तीन प्रतियों में प्रारूप 7 में एक तालिका तैयार करवाएगा।

(2) तालिका पर उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे तैयार किया था हस्ताक्षर किए जाएंगे और अभिरक्षक द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे तथा तालिका की एक प्रति संपत्ति के स्वामी की दी जाएगी और दो प्रतियां अभिरक्षक द्वारा प्रतिधारित की जाएंगी।

10. आंतरिक संपरीक्षा - अभिरक्षक केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने किसी या सभी कार्यालयों की अंतरिम संपरीक्षा करवा सकेगा और ऐसी आंतरिक संपरीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से रजिस्ट्रीकृत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जा सकेगी ।

11. राष्ट्रीय सर्वेक्षण - अभिरक्षक समय समय पर संपूर्ण देश में उसमें निहित सभी संपत्तियों का राष्ट्रीय सत्यापन और सर्वेक्षण करेगा और प्रत्येक राज्य की बाबत वर्षवार एक वार्षिक सर्वेक्षण योजना तैयार करेगा ।

12. शत्रु संपत्ति से आय के अभिरक्षक को संदाय --(1) अधिनियम के अधीन शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म द्वारा अभिरक्षक को धन का संदाय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन शत्रु संपत्ति की बाबत अभिरक्षक को संदेय सभी भारक, पट्टा राशि, विक्रय - आगम, लाभांश, ब्याज या शेयर लाभ या कोई अन्य धन राशि का नकद या अभिरक्षक के मुंबई स्थित कार्यालय या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे अभिरक्षक द्वारा इस निमित्त ऐसी धनराशि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, संदेय भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के पक्ष में पाने वाले के खाते में मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या चैक द्वारा या बैंक अंतरण द्वारा निविदत्त किया जाएगा ।

(ख) अभिरक्षक की ओर से धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रारूप 8 में पावती जारी करेगा;

(ग) बाहरी चैक की दशा में, बैंक प्रभारों के मद्दे धनराशि को भी- अभिरक्षक को देय धनराशि में जोड़ा जा सकेगा।

13. जिला प्राधिकारी से प्राप्तियां -(1) जिला प्राधिकारी, अभिरक्षक को चैक, मांगदेय ड्राफ्ट, संदाय आदेश या इलैक्ट्रानिक समाशोधन सेवा अंतरण के माध्यम से उसके नियंत्रणाधीन शत्रु संपत्ति से संग्रहीत आय विप्रेषित करेगा ।

(2) जिला प्राधिकारी, शत्रु संपत्ति के परिरक्षण के प्रयोजनों के लिए आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसे व्ययों की विस्तृत तर्कसंगता बताते हुए अभिरक्षक को दिए गए ऐसे आवेदन पर अभिप्राप्त अभिरक्षक के पूर्व अनुमोदन से कुल संग्रहण के दस प्रतिशत से अनधिक ऐसी धनराशि का उपयोग कर सकेगा:

14. अप्राधिकृत अधिभोगी - यदि शत्रु संपत्ति का कोई अधिभोगी बार बार किराए के संदाय में चूक करता है या किराया देने से इंकार करता है तो जिला प्राधिकारी अभिरक्षक के परामर्श से पट्टे को समाप्त करने या अधिभोगी को बेदखल करने के उपाय कर सकेगा:

परंतु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल करने या पट्टा समाप्त करने के पहले अधिभोगी को एक सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और कि अभिरक्षक के पास ऐसे अधिभोगी के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन दांडिक कार्यवाहियां आरंभ करने का विकल्प होगा ।

15. अभिरक्षा में निहित शत्रु संपत्ति के निर्निहित किए जाने की प्रक्रिया -- (1) केंद्रीय सरकार किसी निर्देश या शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से अभिरक्षक में निहित किसी शत्रु संपत्ति से उसके स्वामी को या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को निर्निहित करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकेगी ।

(2) भारत सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी इस नियम के अधीन शत्रु संपत्ति के निर्निहित करने संबंधी कार्यवाहियों का अध्यक्ष होगा ।

(3) अध्यक्ष, अभिरक्षक सहित सभी संबंधित व्यक्तियों को उनसे उत्तर देने, सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए तीस दिन की सूचना देगा :

परंतु यदि कोई पक्षकार सुनवाई के लिए नियत तारीख को हाजिर नहीं हो पाता है तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दूसरी और अंतिम सूचना की तामील करेगा और यदि वह दूसरी सूचना के पश्चात् भी हाजिर नहीं होता है तो कार्यवाहियों की एक पक्षीय सुनवाई करेगा :

12-97 5E715-2

परंतु यह और कि अध्यक्ष ऐसी एक पक्षीय सुनवाई के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

(4) प्रत्येक सुनवाई के पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों पर सूचना की तामील की जाएगी ।

(5) प्रस्तुतीकरण अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार की ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए लगाया गया है, संपत्ति की बाबत ऐसे साक्षियों और दस्तावेजी साक्ष्यों की जो ठीक समझे, परीक्षा करेगा ।

(6) कार्यवाहियों के पूरा होने पर अभिसाक्ष्य प्रेत ब्यौरे पक्षकारों को देगा ।

(7) अध्यक्ष, साक्ष्य की परीक्षा करने और अतिरिक्त रिपोर्ट तथा ऐसी जांच की अपेक्षा करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और उक्त आदेशों की एक प्रति पक्षकारों को भेजेगा ।

[फा. सं- 37/43/2014-ई.पी.]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

उपाबंध – 1

[नियम 3(14) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

घोषित निहित संपत्ति के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या		प्रक्रियाधीन मामले का विवरण
		संपत्ति के ब्यौरे
जिले का नाम	:	
उपखंड का नाम	:	
पुलिस थाने का नाम	:	
डाकघर का नाम	:	
ब्लाक का नाम	:	
शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की फाइल सं.	:	
पाकिस्तान राष्ट्रिक का नाम	:	

संपत्ति का वर्गीकरण

मौजा का नाम	जे. एल. संख्या	आर एस खाता सं.	आर.एस. प्लाट सं.	एल आर. खाता सं.	एल आर. प्लाट सं.	कुल क्षेत्र	पाकिस्तान राष्ट्रिक का शेयर	संपत्ति की प्रकृति वर्तमान अधिभोगी के नाम सहित

निहित होने की तारीख

उपाबंध – 2

[नियम 4(4) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

घोषित/निहित संपत्ति के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या		घोषित मामले का विवरण
		संपत्ति के ब्यौरे
जिले का नाम	:	
उपखंड का नाम	:	
पुलिस थाने का नाम	:	
डाकघर का नाम	:	
ब्लाक का नाम	:	
शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की फाइल सं.	:	
पाकिस्तान राष्ट्रिक का नाम	:	

संपत्ति का वर्गीकरण

मौजा का नाम	जे. एल. संख्या	आर एस खाता सं.	आर.एस. प्लाट सं.	एल आर. खाता सं.	एल आर. प्लाट सं.	कुल क्षेत्र	पाकिस्तान राष्ट्रिक का शेयर	संपत्ति की प्रकृति वर्तमान अधिभोगी के नाम सहित

निहित होने की तारीख

उपाबंध – 3

[नियम 5(4) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

संपत्ति से प्राप्त आय के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या		मामले में प्राप्त आय का विवरण
		संपत्ति के ब्यौरे
जिले का नाम	:	
उपखंड का नाम	:	
पुलिस थाने का नाम	:	
डाकघर का नाम	:	

ब्लाक का नाम	:	
शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय फाइल सं.	:	
पाकिस्तान राष्ट्रिक का नाम	:	
निहित होने की तारीख	:	

प्ररूप 1

[नियम 3(6) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय हेतुक दर्शित करने वाली सूचना

फा. सं. सीईपीआई/ तारीख:

सेवा में

विषय:- स्थावर संपत्ति अर्थात् :-

महोदय,

ऐसा प्रतीत होता है कि विषयगत संपत्ति 10 सितंबर, 1965 से 26 सितंबर, 1977 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रिक की थी या उसके द्वारा धारित की गई थी या उसकी ओर से उसका प्रबंध किया जा रहा था । भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्यांक 12/2/65-ई. पीटीवाई, तारीख 10/9/1965 और का.आ. 5511 तारीख 18/12/1971 के साथ पठित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5 और धारा 24 के निबंधनानुसार विषयगत संपत्ति भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति प्रतीत होती है और उसमें निहित बनी हुई है । मुझे उक्त अभिरक्षक द्वारा, उसकी ओर से मेरे प्रभाराधीन जिले/तहसील में स्थित शत्रु संपत्ति की पहचान करने, उसका परिरक्षण और प्रबंध करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

2. अत: अब मैं आपसे इस सूचना के प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर ऊपर दिए गए पते पर लिखित में यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करता हूं कि क्यों न विषयगत संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन यथाउपबंधित शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया जाए और उसे उसके परिरक्षण और प्रबंध के लिए मेरे नियंत्रणाधीन दे दी जाए । उत्तर में निर्दिष्ट रूप से यह उपदर्शित किया जाए कि आपके द्वारा मामले में कोई व्यक्तिगत सुनवाई अपेक्षित है या नहीं ।

3. यदि ऊपर नियत समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या उक्त प्रयोजन के लिए नियत तारीख और समय पर आप व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर नहीं होंगे तो यह उपधारणा की जाएगी कि आपको विषय में कुछ नहीं कहना है और उक्त संपत्ति मेरे द्वारा शत्रु संपत्ति के रूप में ग्रहण कर ली जाएगी और उस पर उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

4. अपेक्षित दस्तावेजों/सूचनाओं की सूची:

(i) संपत्ति के स्वामी का नाम, स्वामी के पाकिस्तान, प्रवास करने की तारीख और अन्य ब्यौरे ।

(ii) विरासत, विक्रय, दान द्वारा या उससे अन्यथा पश्चात्वर्ती अंतरण, यदि कोई हो, के ब्यौरे ।

(iii) इन अंतरणों से संबंधित सुसंगत विक्रय विलेख, दान विलेख, वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, राजस्व अभिलेख की प्रतियां

(iv) विषयगत संपत्ति की बाबत आपके अधिकारों, यदि कोई हों, के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ।

(v) जहां स्वामी अंतरक की निर्वसीयत मृत्यु हो गई है वहां मृत्यु प्रमाणपत्र और स्वामी और/या पश्चात्वर्ती अंतरक का सही वंश विषयक चार्ट ।

(vi) संपत्ति की बाबत कोई अन्य सूचना ।

भवदीय,

प्ररूप 2

[नियम 4(2) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र

फा.सं. तारीख.....

क्रमशः भारत के रक्षा नियम, 1962 और भारत के रक्षा नियम, 1971 के अधीन जारी भारत सरकार की अधिसूचना एनआई.12/2/65-ई.पीटीवाई, तारीख 10.9.1965 और का.आ. 5511 तारीख 18.12.1971 के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित पाकिस्तानी राष्ट्रिक की या उसके द्वारा धारित और उसकी ओर से व्यवस्थित भारत की सभी स्थावर संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन उक्त अभिरक्षक में इस प्रकार निहित बनी रहेंगी ।

और.....(संपत्ति के ब्यौरे) स्थित स्थावर संपत्तियां.....की है (हैं) या द्वारा धारित/व्यवस्थित है (हैं), जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक है (हैं) और उक्त संपत्ति (संपत्तियां) शत्रु संपत्ति है (हैं) जो भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित है (हैं) ।

अतः, अब, मैं..... (शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का नाम) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर वर्णित संपत्ति (संपत्तियां) जो शत्रु संपत्ति है (हैं) मुझ में निहित है (हैं) और उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस प्रकार निहित बनी रहेंगी ।

(.....)

भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक

(कार्यालय की गोल मुहर)

प्ररूप 3

[नियम 4(2) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

शत्रु संपत्ति का प्राधिकार आदेश

फा. सं.

तारीख.....

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.12/2/65-ई.पीटीवाई, तारीख 10.9.1965 और का.आ. 5511 तारीख 18.12.1971 के अधीन सभी पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की या उनके द्वारा धारित और व्यवस्थित भारत की

सभी स्थावर संपत्तियां शत्रु संपत्ति है जो भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित हैं और शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन उक्त अभिरक्षक में इस प्रकार निहित बनी रहेंगी ।

और व्यक्ति जिसके (जिनके) ब्यौरे इससे उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) में है (हैं) एक/सभी पाकिस्तानी राष्ट्रिकों है (हैं), इसके स्तंभ (3) में वर्णित स्थावर संपत्तियों के स्वामी है (हैं)/उसके (उनके) द्वारा धारित /व्यवस्थित है और उक्त संपत्ति (संपत्तियां) शत्रु संपत्ति है (हैं) जो मुझमें निहित है (हैं) और उक्त आदेशों और उक्त अधिनियम के उपबंधों के निबंधनानुसार इस प्रकार निहित बनी रहेंगी ।

अतः, अब, मैं.....भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 के अधीन जिला.....के जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त भारसाधक को उक्त शत्रु संपत्ति का नियंत्रण प्रबंध करने के लिए और ऐसे उपाय करने के लिए प्राधिकृत करता हूं जो वह उक्त शत्रु संपत्ति के परिरक्षण और प्रबंध के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(.....)

भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक

IndiaCode

संपत्ति अनुसूची

क्रम सं.	संपत्ति के पाकिस्तानी स्वामी (स्वामियों) का (के) नाम	संपत्ति के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

प्ररूप 4

[भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय]

सूचना पट्ट

प्ररूप 4

[नियम 4(3) देखिए]

भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

सूचना बोर्ड

यह संपत्ति, अधिसूचना सं.12/2/65-ई.पीटीवाई, तारीख 10.9.1965 और स्थायी आदेश (का.आ.)5511 तारीख 18.12.1971 के निबंधनानुसार, भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, जिसका कार्यालय कैसर-ए-हिंद भवन, कुरिम्मोई रोड, बल्लार्ड इस्टेट, मुम्बई-400001 में है, में निहित की जाती है ।

कोई अतिचार अनुज्ञात नहीं होगा, अप्राधिकृत व्यक्ति को अभियोजित किया जाएगा ।

आदेश द्वारा

प्ररूप 5

[नियम 5(1) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

इजाजत और अनुज्ञप्ति करार

यह इजाजत और अनुज्ञप्ति करार एक पक्षकार के रूप में, श्री.....जो वयस्क भारतीय निवासी है, जो.....का निवासी है, जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापक कहा गया है (जिसके उसके विधिक वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती अभिप्रेत है कि वह उसके संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल या विरुद्ध हो) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री.....जो वयस्क, भारतीय निवासी है जो.....का निवासी है, जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है (जिसमें इसके विधिक वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जब तक कि वह उसके संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल या विरुद्ध न हो) के बीच तारीख.....मास.....वर्ष.....को.....पर किया गया।

अनुज्ञापक विधिपूर्ण और विधिक स्वामी है और उसने फ्लैट सं.....को पूर्णतया अभिगृहीत और कब्जा ले लिया है जो वयस्क भारतीय निवासी है जोका निवासी है ('जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में उक्त संपत्ति/परिसर कहा गया है' ।)

और अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञापक से.....दिन.....मास.....वर्ष से प्रारंभ होने वाली.....दिन.....मास.....वर्ष तक की 11 मास की अवधि के लिए इजाजत और अनुज्ञप्ति के आधार पर आवासीय/आवासीय-सह-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उक्त परिसर/संपत्ति का अस्थायी उपभोग और प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात करने का निवेदन किया है।

और अनुज्ञापक, उसके पक्षकारों के बीच करार पाए गए केवल निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर 11 मास की अवधि के लिए उक्त परिसर/संपत्ति का अधिभोग और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की इजाजत और अनुज्ञप्ति अनुज्ञात करने के लिए सहमत हो गया है :

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. अनुज्ञापक, तारीख.....मास.....वर्ष से प्रारंभ होने वाली तारीख.....मास.....वर्ष तक की 11 मास की अवधि के उक्त परिसर/संपत्ति का आवासीय/आवासीय-सह-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अधिभोग और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को इजाजत और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता है।
2. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापक को प्रत्येक मास के दसवें दिन को या उससे पूर्व नियमित रूप से उक्त परिसर/संपत्ति के उपभोग के लिए अधिभोग प्रभारों के रूप में रु.....(शब्दों में) की राशि का संदाय करने के लिए सहमत हो गया है।
3. अनुज्ञप्तिधारी, इस करार के जारी रहने के दौरान नियमित रूप से बिल की रकम के अनुसार समुचित प्राधिकारियों को देय विद्युत प्रभारों और अन्य अनुषंगी प्रभारों का संदाय करने के लिए भी सहमत हो गया है।
4. अनुज्ञप्त उक्त परिसर/संपत्ति का केवल आवासीय/आवासीय-सह-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
5. अनुज्ञप्त उक्त परिसर/संपत्ति अनुज्ञप्तिधारी को व्यक्तिगत आधार पर दी जाती है और अनुज्ञप्तिधारी इस करार के फायदों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का हकदार होगा या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त परिसर/संपत्ति या उसके किसी भाग का अधिभोग करने हेतु अनुज्ञात करने का हकदार नहीं होगा। इस करार की किसी बात से पट्टा अनुदत्त किया जाना नहीं समझा जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी इस पर सहमत है और वचन देता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी समय पर ऐसा कोई विवाद नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त उक्त फ्लैट का अनन्य अधिभोगी नहीं समझा जाएगा और अनुज्ञापक आवासीय प्रयोजन समय के दौरान परिसर का निरीक्षण करने के लिए किसी भी समय उक्त फ्लैट में प्रवेश करने का अधिकार होगा ।

7. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त उक्त परिसर/संपत्ति को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा और उसमें कोई नुकसान नहीं करेगा । यदि उक्त संपत्ति/परिसर या उसके किसी भाग को अनुज्ञप्तिधारी या उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसके (अनुज्ञप्तिधारी के) खर्चे पर ठीक करवाया जाएगा चाहे नुकसान का सुधार करके या नकदन प्रतिकर का संदाय करके जैसा अनुज्ञापक द्वारा अवधारित किया जाए ।

8. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर/संपत्ति में कोई संरचना संबंधी मरम्मत अथवा परिवर्धन या परिवर्तन का कार्य नहीं करेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञापक की पूर्व अनुमति से परिसर/संपत्ति के भीतर केवल ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन अनुज्ञात किए जाएंगे जो संरचनात्मक प्रकार के नहीं है या जो स्थायी प्रकृति के नहीं है ।

9. अनुज्ञप्तिधारी पड़ोस के लोगों के लिए कोई न्यूसेंस या क्षोभ कारित नहीं करेगा या उक्त परिसर/संपत्ति के परिसर पर कोई परिसंकटमय माल का भंडारण नहीं करेगा ।

10. अनुज्ञप्तिधारी सक्षम प्राधिकारी के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत है ।

11. यदि अनुज्ञप्तिधारी इस करार के किसी निबंधन का भंग करता है तो इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञापक अनुज्ञप्तिधारी को 30 दिन की पूर्व सूचना देकर इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा ।

12. इस करार के किसी भी पक्षकार को लिखित में 30 दिन की पूर्व सूचना देकर इस करार को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी ।

13. उक्त परिसर/संपत्ति के निबंधन या अनुज्ञप्ति के अवसान पर या उसके पूर्वतम अवसान पर अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें अब संपत्ति उक्त परिसर/संपत्ति विद्यमान है, सामान्य टूट-फूट के अधीन रहते हुए, खाली और शांतिमय कब्जा देगा । ऐसी समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर/संपत्ति के अधिभोग से उसे उसका अतिचारी समझा जाएगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर वर्णित तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर किए ।

इसमें नामित अनुज्ञापक)

श्री.....)

1.)

2.)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर, मुद्राबद्ध किया और उसका परिदान किया)

इसमें नामित अनुज्ञापक)

श्री.....)

1.)

2.)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर, मुद्राबद्ध किया और उसका परिदान किया)

प्ररूप 6

[नियम 8(1) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

जंगम शत्रु संपत्ति की तालिका

सं.....मोहल्ला.....नगर.....पर.....के मकान/कारखाना/दुकान/उद्यान से.....को वसूल की गई संपत्तियों की सूची

क्रम सं.	संपत्तियों के नाम	विवरण

साक्षी

(1)

(2)

संपत्ति की वसूली करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर

सहायक/उप अभिरक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

[नियम 9(1) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

स्थावर संपत्ति की तालिका को दर्शित करने वाले ब्यौरों का विवरण

क्रम सं.	फाइल सं.	शत्रु प्रवासी का नाम.	संपत्ति के ब्यौरे	प्रवर्ग			टिप्पणियां
				ए/1	एच/बी	एस/सी	
			जिले का नाम : उपखंड का नाम : पुलिस थाने का नाम : डाकघर का नाम : ब्लाक तहसील का नाम : पता : भू-संपत्ति क्षेत्र मौजे का नाम				

1297 GI/15-4

IndiaCode

			जेएल सं. डीएजी सं. निहित होने की तारीख				
		क्रम सं.	आर एस प्लाट सं.				
			संपत्तियों की कुल संख्या				

राज्य :

प्ररूप 8

[नियम 12(1)(ख) देखिए]

भारत की शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय

सरकार को किए गए संदायों की पावती

तारीख--------20

पुस्तक सं.....पावती.....स्थान.....से.....रु.....तारीख.....कोके खाते में प्राप्त किए ।

अनुदत्त करने वाले रोकड़िया/पदधारी के हस्ताक्षर

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2015

G.S.R. 205(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title and commencement**- (1) These rules may be called the Enemy Property Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968);

(b) "Form" means the form appended to these rules;

(c) "license fee" means monthly tariff charge to the occupant for his occupancy of the subject property for a definite tenure;

(d) "District Authority" means the District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner or any officer in-charge of the district.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Procedure for identification of immovable property** - (1) The Custodian may seek assistance of the District Authority for examination of the tehsil-wise or block-wise revenue records for the purposes of identifying any immovable property belonging to or held in the name of an enemy.

(2) The concerned District Authority shall on identifying any immovable property belonging to or held in the name of an enemy, forward to the Custodian the complete details of such enemy property including the nationality of the owner thereof.

(3) If the District Authority receives any information or complaint from any person or from any source in respect of an enemy property, he shall forward such information or complaint to the Custodian along with details referred to in sub-rule (2).

(4) The Custodian may direct the District Authority in which the enemy property is located, to carry out physical inspection or verification of the enemy property for obtaining the information as specified by the Custodian.

(5) On receipt of the direction from the Custodian under sub-rule (4), the District Authority shall check the relevant revenue or municipal or police records to verify the location or area and other details of the enemy property and conduct survey for obtaining the information as specified by the Custodian.

(6) On obtaining the required information referred to in sub-rule (5), and on being satisfied that the property or interest therein is *prima facie* enemy property, the Custodian or his authorised representative shall cause a notice to be served in **Form 1**, on the person claiming title to such property or interest and on any other person or persons whom he considers to be interested in the property.

(7) The notice referred to in sub-rule (6) shall, as far as practicable, mention the grounds on which the property is sought to be declared as an enemy property and shall specify the provisions of the Act under which such property is alleged to be an enemy property.

(8) (a) The notice shall be served personally to the person concerned or his manager, or to other members of his family; or be sent through registered post; or affix it on some conspicuous part of the premises concerned or at the last known place of the business of the person concerned.

(b) The Dasti service of notice through police may be resorted only in the case of persistent non-compliance of the notice.

(9) The Custodian or his authorised representative shall observe the principles of natural justice by giving sufficient opportunity to the notices to present their case before them and hear them or their representative.

(10) Where a notice has been duly served, the party shall be called upon to show cause as to why the subject property should not be declared as an enemy property:

Provided that if the party fails to appear on the dates fixed for hearing even after giving reasonable opportunity, the Custodian or his authorised representative may proceed further to hear the matter *ex -parte* and pass a reasonable order on the material before them as the Custodian or his authorised representative deem fit.

(11) Where the party appears and contests the notice, the Custodian or his authorised representative shall state the reasons to be recorded in writing, as to why the subject property should not be deemed to be an enemy property.

(12) Any other person or persons claiming to be interested in the proceedings relating to enemy property, may file an application before the Custodian who shall then, either on the same day or on any subsequent day to which the hearing may be adjourned, proceed further to hear the applicant himself or cause the same to be heard by his authorised representative.

(13) The authorised representative of the Custodian shall prepare a detailed report of all cases identified as enemy property in respect of which hearing is complete, and shall submit the same to the Custodian along with his recommendations thereon.

(14) All properties under examination and in the process of identification or verification shall be considered as Process Case and details of such cases shall be recorded in **Annexure-I** till its declaration.

4. Procedure for declaration and vesting of the enemy property -(1) On receipt of the report of the authorised representative referred to in sub-rule (13) of rule 3, the Custodian shall examine and cause further investigation, if considered necessary.

(2) If, on examination of the report or on further investigation under sub-rule (1), the Custodian is satisfied that the property is an enemy property, he shall issue a certificate in **Form 2**, declaring the property as enemy property and vesting of such property in the Custodian, along with an authorisation order in **Form 3**, authorising the District Authority to take over the said property immediately on his behalf.

(3) On receipt of the authorisation order from the Custodian under sub-rule (2), the District Authority shall proceed further to take control over the management of the enemy property and shall initiate action for recovery of arrears or dues recoverable from the occupier of the vested property and a notice in **Form** 4 shall be affixed over the property declaring the said property as vested with the Custodian.

(4) The District Authority shall prepare a list of the vested property

pertaining to his district in the format given in **Annexure II** and a copy of the same shall be sent to the Custodian.

5. Procedure for preservation, management and control of immovable property.—

(1) Where any vested property, in respect of which no income is received by the Custodian, is under occupation of a person or persons or a company, the Custodian may serve a notice directing them to enter into an agreement with the Custodian in **Form 5** and such occupant or occupants or the company, shall pay all arrears as may be determined by the District authority with effect from the date of occupation of the property or the date of vesting, whichever is earlier:

Provided that where the occupant of the vested property is unwilling to enter into an agreement, the Custodian may initiate process for the eviction of the occupant and take control over the property in accordance and in the manner provided in the Act and in these rules:

Provided further that where the share of the enemy in such property exceeds one-half of the whole property, the control over the whole property may be taken over by the Custodian.

(2) Where the vested property is jointly owned by an enemy and an Indian National or is an undivided share in joint property, the income and expenses in respect of such property shall be apportioned for its preservation, management and control.

(3) All vested property which is unoccupied at the time of taking over of control by the Custodian or has become vacant due to eviction under this rule shall be leased out through open auction to the highest bidder.

(4) The Custodian shall prepare a list of all enemy properties out of which any income is received or receivable, in **Annexure III** which shall be reviewed and updated from time to time.

Explanation.— For the purposes of this rule, "date of vesting" means the date of vesting of any property declared as enemy property in the Custodian which shall be with effect from 10th September, 1965, as notified under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce number 12/2/65-E.Pty. dated the 10th September, 1965.

6. Procedure for taking possession of moveable property.—Where the vested property is a moveable property, the Custodian may take possession of the property by actual seizure:

Provided that where the property is subject to speedy or natural decay or the expense of keeping it is likely to be out of proportion to its value, the Custodian may sell it forthwith in the presence of five neutral witnesses and in accordance with the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

7. Procedure for taking possession of certain moveable property.—(1) Where the vested property is a debt or a legacy or interest payable on a debt or a legacy, the Custodian may serve the party liable with a notice, requiring such party to pay such debt or legacy or interest payable on such debt or legacy to the Custodian or any other person authorised by him to receive the payment.

(2) Where the vested property is a share in a joint-stock company, not being a joint-stock company, possession may be taken by informing the principal officer of such company that the share has vested in the Custodian.

(3) Where the vested property consists of Government or other securities, stock, or debentures, possession may be taken by serving upon the appropriate authority notice requiring such authority to make all payments in respect of such securities, stock, or debentures to the Custodian or any other person authorised by him in this behalf.

(4) Where the vested property is a running business or a share in such business, the Custodian may take possession of the stock-in-trade and other assets of the business and may further take such steps as he considers necessary either for the continuance of or for the winding up of such business.

8. Preparation of inventory of moveable property.-

(1) Where the Custodian takes possession of any moveable property including any stock-in-trade or plant or machinery or any undertaking, he shall cause an inventory to be prepared of the property in **Form 6** in triplicate, in the presence of not less than two neutral witnesses.

(2) The inventory shall be signed by the person by whom it was prepared and each of the two witnesses and be countersigned by the Custodian and one copy of the inventory shall be given to the owner of the property and two copies shall be retained by the Custodian.

9. Preparation of inventory of immoveable property .--

(1) Where the Custodian takes possession of any immovable property, he shall cause an inventory to be prepared in **Form 7**, in triplicate.

(2) The inventory shall be signed by the person by whom it was prepared and shall be countersigned by the Custodian and one copy of the inventory shall be given to the owner of the property and two copies to be retained by the Custodian.

10. Internal audit.-The Custodian, with prior approval of the Central Government, may cause any internal audit to be done for any or all of its offices and such internal audit may be done by a Chartered accountant registered with the Institute of Chartered Accountants of India.

11. National survey.-The Custodian shall conduct a national verification and survey of all the properties vested in him throughout the country from time to time and prepare a year wise annual survey planner in respect of each State.

12. Payment to Custodian of income from enemy property.-(1) The payment of money by an enemy subject or enemy firm to the Custodian under the Act shall be as per the following procedure, namely:-

(a) all rent, lease money, sale-proceed, dividend, interest or share profit or any other money payable to the Custodian in respect of enemy property under the Act or under these rules shall be tendered by cash or by an account payee demand drafts or cheques or bank transfers in favour of "the Custodian of Enemy Property for India" payable at Mumbai in the Office of the Custodian or to any other person who may be authorised by the Custodian in this behalf, to receive such money;

(b) the person receiving the money on behalf of the Custodian shall issue a receipt in **Form 8**;

(c) in case of outstation cheques, the amount on account of bank charges may also be added to the amount due to the Custodian.

13. Receipts from District authority.—(1) The District authority shall remit the income collected from enemy property under their control to the Custodian through cheque, demand draft, pay order or electronic clearing service transfer.

(2) The District authority may utilise such amount not exceeding ten per cent of the total collection, for meeting contingent expenses for the purposes of preservation of the enemy property, with the prior approval of the Custodian to be obtained on an application made to the Custodian, giving detailed justification for such expenses.

14. Unauthorised occupant.—If any occupant of the enemy property repeatedly defaults in paying rent or refuse to pay rent, the District authority, in consultation with the Custodian, may take steps to terminate the lease or evict the occupant forthwith:

Provided that before evicting a person or terminating the lease under this rule, a notice shall be issued to the occupant:

Provided further that it may be open to the Custodian to initiate criminal proceedings against such occupation under the relevant laws for the time being in force.

1297 GI/15-5

15. Procedure for divestment of enemy property vested in Custodian.-

(1) The Central Government may, on a reference or complaint or on its own motion, initiate process for divestment of an enemy property vested in the Custodian, to the owner thereof or to such other person.

(2) An officer of the rank of Joint Secretary or above in the Government of India shall be the Chairperson of the proceedings for divestment of the enemy property under this rule.

(3) The Chairperson shall give thirty days' notice to all concerned including the Custodian, requiring them to submit a reply, produce all documentary evidence and appear in person or through authorised representative:

Provided that if any party fails to appear on the date fixed for hearing, then a second and final notice shall be served through registered post and if he again fails to appear after the second notice, then the proceedings shall be heard *ex parte:*

Provided further that the Chairperson shall record the reasons for such *ex parte* proceedings.

(4) The notices shall be served on all concerned parties before each hearing.

(5) The presenting officer who has been engaged for presentation of the case on behalf of the Central Government, shall examine such witnesses and documentary evidences in respect of the property as he thinks fit.

(6) On completion of the proceedings, the details including depositions shall be furnished to the parties.

(7) The Chairperson, after examining the evidence and calling for further reports and inquiry as may be necessary, shall pass such orders thereon as it thinks fit, and a copy of the said orders shall be sent to the parties.

[F. No. 37/43/2014-EP]
K. K. PATHAK, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

[See rule 3 (14)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

STATEMENT SHOWING DETAILS OF PROPERTY UNDER PROCESS STAGE

STATE:

Sl. No.	STATEMENT OF PROCESS CASE

DETAILS OF PROPERTY

DISTRICT NAME :

SUB-DIVISION NAME :

POLICE STATION NAME :

POST OFFICE NAME :

BLOCK NAME :

CEP'S OFFICE FILE NO. :

NAME OF PAK NATIONAL :

CLASSIFICATION OF PROPERTY								
Mouza Name	J. L. No.	R. S. Kh. No.	R. S. Plot No.	L. R. Kh. No.	L. R. Plot No.	Total Area	Share of Pak National	Nature of the Property With name of present occupier

DATE OF VESTING :

ANNEXURE-II

[See rule 4 (4)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

STATEMENT SHOWING DETAILS OF DECLARED/VESTED PROPERTY

STATE:

Sl. No.	STATEMENT OF DECLARED CASE

DETAILS OF PROPERTY

DISTRICT NAME :

SUB-DIVISION NAME :

POLICE STATION NAME :

POST OFFICE NAME :

BLOCK NAME :

CEP'S OFFICE FILE NO. :

NAME OF PAK NATIONAL :

CLASSIFICATION OF PROPERTY								
Mouza Name	J. L. No.	R. S. Kh. No.	R. S. Plot No.	L. R. Kh. No.	L. R. Plot No.	Total Area	Share of Pak National	Nature of the Property With name of present occupier

DATE OF VESTING:

ANNEXURE-III

[See rule 5 (4)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

STATEMENT SHOWING DETAILS OF INCOME RECEIVING PROPERTY

STATE:

Sl. No.	STATEMENT OF INCOME RECEIVING CASE

DETAILS OF PROPERTY

DISTRICT NAME :

SUB-DIVISION NAME :

POLICE STATION NAME :

POST OFFICE NAME :

BLOCK NAME :

CEP'S OFFICE FILE NO. :

NAME OF PAK NATIONAL :

DATE OF VESTING :

FORM 1

[See rule 3 (6)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

SHOW CAUSE NOTICE

F. No. CEPI/ Dated:

To

Subject:- | *Immoveable property viz.*.....

Sir,

Whereas it appears, the subject property belonged to or/was held by or managed on behalf of Pakistani national during the period from 10.9.1965 to 26.9.1977. In terms of sections 5 and 24 of the Enemy Property Act, 1968 read with Notification No. 12/2/65-E.Pty dated 10.9.1965 and S.O. 5511 dated 18.12.1971 issued by the Government of India, New Delhi the subject property appears to be an enemy property vested in the Custodian of Enemy property for India and continues to vest in him. I have been authorized by the said Custodian to identify, preserve and manage on his behalf, the enemy property situated in the district/tehsil under my charge.

2. Now, therefore, I require to you furnish the following information/documents in person or through your representative and show cause in writing at the address given above within 10 days of receipt of this notice as to why the subject property should not be declared as enemy property and taken under my control for its preservation and management as provided under the Enemy Property Act, 1968. The reply should indicate specifically whether any personal hearing in the matter is required by you.

3. In case no reply is received within the stipulated time as above, or you do not appear for the personal hearing on the date and time fixed for the said purpose, it will be presumed that you have nothing to say in the matter and the said property shall be taken over by me as enemy property and dealt with in accordance with the provisions of the said Act.

4. List of documents/information required:

i) Name of owner of the property, date and other details of migration of owner to Pakistan.

ii) Details of subsequent transfers, if any, by way of inheritance, sale, gift or otherwise.

iii) Copies of relevant sale-deed, gift deed, Will, Succession certificates, revenue records relating to these transfers.

iv) Documentary evidence in support of your rights, if any in respect of the subject property.

v) Death certificates and true genealogical charts of the owner and/or subsequent transferors where the owner/transferor died intestate.

vi) Any other information in respect of the property.

Yours faithfully,

FORM 2

[See rule 4 (2)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

CERTIFICATE UNDER SECTION 12 OF THE ENEMY PROPERTY ACT, 1968

F. No. Dated.....

WHEREAS all immovable properties in India belonging to or held by or managed on behalf of Pakistani nationals vested in the Custodian of Enemy Property for India, under Government of India, Notification No. 12/2/65-E.Pty dated 10.9.1965 and S.O. 5511 dated 18.12.1971 issued under Defence of India Rules, 1962 and Defence of India Rules, 1971 respectively continue to remain so vested in the said Custodian, under section 5 of The Enemy Property Act, 1968.

AND WHEREAS, the immovable properties situated at(details of property) belong(s) to or is/are held/managed by who is/are Pakistani national(s) and whereas the said property(s) is/are enemy property(s) vested in the Custodian of Enemy Property for India.

NOW, therefore, I,.....(Name of CEP) Custodian of Enemy Property for India u/s 12 of The Enemy Property Act, 1968 hereby certify that the above mentioned property(s) is/are enemy property(s) vested in me and continue to so vest under the provisions of the said Act.

(.....)

Custodian of Enemy Property for India.

(Round seal of Office)

FORM 3

[See rule 4 (2)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

AUTHORISATION ORDER OF THE ENEMY PROPERTY

F. No. Dated.....

WHEREAS, under Government of India, Ministry of Commerce, Notification No. 12/2/65-E.Pty dated 10.9.1965 and S.O. 5511 dated 18.12.1971, all immovable properties in India belonging to or held by or managed on behalf of all Pakistani nationals are enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India and continue to so vest in the said Custodian under section 5 of The Enemy Property Act, 1968;

AND WHEREAS the person(s) detailed in column (2) of the schedule annexed hereto is/are a/all Pakistani national(s) owning/holding/managing the immovable properties mentioned in column (3) thereof; and whereas the said property(s) is/are an enemy Property vested in me and continue to so vest in terms of the said orders and the provisions of the said Act.

NOW, therefore, I the Custodian of Enemy Property for India hereby authorise the Dist. Magistrate/Collector/Dy. Commissioner, In-charge of Dist..... under section 8 of The Enemy Property Act, 1968 to take over control and management of and take such measures as he considers necessary or expedient for the preservation and management of the said enemy property.

(.....)

Custodian of Enemy Property for India.

PROPERTY SCHEDULE

Sl.No.	Name(s) of the Pakistani owner(s) of the property	Details of Property
(1)	(2)	(3)

FORM 4

[See rule 4 (3)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

NOTICE BOARD

This property is vested with the Custodian of Enemy Property for India, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, having its Office at Kaiser-I-Hind Building, Currimbhoi Road, Ballard Estate, Mumbai-400001 in terms of Notification No. 12/2/65-E. Pty. dated 10-09-1965 and Standing Order (S.O.) 5511 dated 18-12-1971 .

No trespassing allowed, unauthorized person will be prosecuted.

1297 GI/15-6

By Order

FORM 5

[See rule 5 (1)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

LEAVE AND LICENSE AGREEMENT

THIS LEAVE AND LICENCE AGREEMENT is made and entered into at on this day of(Month).....(Year) BETWEEN SHRI. XXXXXXXXXX an adult, Indian inhabitant residing at XX, XXXXXXXXXXXX, hereinafter referred to as "THE LICENSOR" (which expression unless contrary or repugnant to the context or meaning thereof shall mean and include his legal heirs, executors, administrators & assigns) of the "ONE PART ***AND*** SHRI XXXXXXXXXX an adult, Indian inhabitant residing at XX, XXXXXXXXXXXX, hereinafter referred to as "THE LICENSEE" (which expression unless contrary or repugnant to the context or meaning thereof shall mean and includes his legal heirs, executors, administrators and assigns) of the "OTHER PART',

WHEREAS the Licensor is the lawful and legal owner and is fully seized and possessed of Flat No. XXXXXXXXXX an adult, Indian inhabitant residing at XX, XXXXXXXXXXXX (hereinafter for the sake of the brevity referred to as ('The said property/premises'.)

AND WHEREAS the Licensee has approached to the Licensor with a request to allow the Licensee to temporarily occupy and use the said premises/property for Residential/Residential-cum-commercial purpose on leave and license basis for a period of 11 months commencing from(Day)..... (Month).....(Year) to(Day).....(Month).....(Year).

AND WHEREAS the Licensor has agreed to allow Leave and License to the Licensee to occupy and use the said premises/property for a period of 11 months only on the following terms and conditions agreed to between the parties hereto:

NOW IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:-

1. That the Licensor hereby grants leave and license to the Licensee to occupy and use the said premises/property for residential/residential-cum-commercial purpose for a period of 11 months commencing with effect from(Day).....(Month).....(Year) to(Day)..... (Month).....(Year).
2. That the Licensee has agreed to pay to the Licensor, the sum of Rs. (Rupees in words) per month being the occupancy charges for the said premises/property regularly on or before 10th day of each and every month.
3. That the Licensee has further agreed to pay the Electricity charges and other incidental charges due to appropriate authorities as per the bill amount regularly during the currency of this Agreement.
4. That the Licensed said premises/property shall be used only for Residential/Residential-cum-commercial purpose and not for any other purpose.
5. The Licensed said premises/property is giving to the Licensee on personal basis and the Licensee shall not be entitled to transfer the benefit of this agreement to anybody else or will not be entitled to allow anybody to occupy The said premises/property or any part thereof. Nothing in this agreement shall be deemed to grant a Lease and the Licensee agrees and undertakes that no such contention shall be taken up by the Licensee at any time.
6. The Licensee shall not be deemed to be in the exclusive occupation of the Licensed said Flat and the Licensor will have the right to enter upon The Said Flat at any time during residential Purpose hours to inspect the premises.
7. The Licensee shall maintain the licensed said premises/property in good condition and will not cause any damage thereof. If any damage is caused to the said property/premises or any part thereof by the Licensee or his family members, the same will be made good by the Licensee at the cost of the Licensee whether by rectifying the damage or by paying cash compensation as may be determined by the Licensor.
8. The Licensee shall not carry out any work of structural repair or additions or alteration to the said premises/property. Only such alterations or additions as are not of structural type or of permanent nature may be allowed to be made by the Licensee inside the premises/property with the previous permission of the Licensor.
9. The Licensee shall not cause any nuisance or annoyance to the people in the neighborhood or store any hazardous goods on the premises of the said premises/property.
10. The Licensee agreed to abide all the rules and regulations of the competent authority.

11. If the Licensee commits a breach of any terms of this agreement then notwithstanding any thing herein contained the Licensor will be entitled to terminate this agreement by 30 days prior notice to the Licensee.
12. That either party to this Agreement is at liberty to terminate this Agreement by giving 30 days prior notices in writing.
13. On the expiration of the said premises/property terms or period of the License or earlier termination thereof, the Licensee shall hand over vacant and peaceful possession of the Licensed said premises/property to the Licensor in the same condition in which the said premises/property now exist, subject to normal wear and tear. The Licensee, occupation of the said premises/property after such termination, will be deemed to be that of a trespasser.

IN WITNESSETH WHEREOF the parties hereto have herein unto set and subscribed their respective hands on the day and year mentioned hereinabove.

SIGNED SEALED AND DELIVERED)
By the within named licensor)
SHRI. XXXXXXXXXXXX)
In the present of)
1.)
2.)
SIGNED SEALED AND DELIVERED)
By the within named licensee)
SHRI XXXXXXXXXXXXXX)
In the presence of.....
1.)
2.)

IndiaCode

FORM 6

[See rule 8(1)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

INVENTORY OF MOVABLE ENEMY PROPERTY

List of properties recovered on.....for the House/Factory/Shop/Garden ofat.....

No.....Mohalla.....City.....

Serial No.	Name of Properties	Description

Witnesses

(1)

(2)

Signature of official
recovering the property.

Counter-signature of Assistant/
Deputy Custodian

FORM 7

[See rule 9 (1)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

STATEMENT SHOWING DETAILS OF INVENTORY OF IMMOVABLE PROPERTY

Sl.No.	File No.	Name of Enemy Migrant	Details of Property	Category			Remarks
				A/I	H/B	S/C	
			DISTRICT NAME : **SUB-DIVISION NAME :** **POLICE STATION NAME:** **POST OFFICE NAME :** **BLOCK /TEHSIL NAME :** **ADDRESS :** **Landed property area** **Mouza Name** **JL No** **Dag No.** **DATE OF VESTING**				
		Sl.No.	**R. S. Plot.Nos.**				
			Total No. of Properties				

STATE:

FORM 8

[See rule 12 (1) (b)]

OFFICE OF THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY FOR INDIA

RECEIPT FOR PAYMENTS TO GOVERNMENT

Dated.....20

Book No.....ReceiptNo.....Place.....Received from.....Rs.....Rupees.....on account of.....

Signature of Cashier/Official granting receipt.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.